कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी

फोन नं. 01586–220022 फैक्स 01586–221526
ईमेल :– munibkcity@gmail.com

क्रमांक :– न.पा.कु./भूमि/2018–19/ 12 दिनांक :– 17.5.2018

प्ररूप–11

(नियम 7 (1) देखिए)

मामला सं. 02 और वर्ष 2017–18

अर्जुन शिक्षा एवं अनुसंधान समिति
जरिए अध्यक्ष श्री भवानाराम पुत्र मागुराम जाट,
ग्राम श्रवणपुरा, तह. कुचामन सिटी

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 17.5.2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर	श्रवणपुरा	724/647	0.80 Hq.

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 724/647 माप 0.80 है. (हैक्टर/बीघा) की ग्राम श्रवणपुरा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **संस्थानिक** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.05.18 को पारित किया गया।

(प्राधिकृत अधिकारी)
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामन सिटी
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका कुचामन सिटी

क्रमांक :– न.पा.कु./भूमि/2018–19/ दिनांक :–

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव/मुख्य नगरपालिक अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण कुचामन सिटी।
2. तहसीलदार, कुचामन सिटी तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री भवानाराम/भागुराम जाट, नि. श्रवणपुरा, तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर (खातेदार)

(प्राधिकृत अधिकारी)
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामन सिटी
नगरपालिका, कुचामन सिटी